बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–44 / 2016 3098 / कृ0, पटना, दिनांक–3-8-,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) **अनौपचारिक रूप** द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**
से परामर्शित।

विषय : **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (RAD) हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 416.666 लाख (चार करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार छः सौ) रूपये (केन्द्रांश 250.00 एवं राज्यांश 166.666) लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (RAD) हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 416.666 लाख रूपये (चार करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार छः सौ) रूपये (केन्द्रांश 250.00 लाख रूपये एवं राज्यांश 166.666 लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जनसंख्या वृद्वि, जलवायु परिवर्तन तथा गैर कृषि कार्यो में खेती योग्य भूमि एवं जल के उपयोग के कारण कृषि के लिए चुनौतियॉ काफी बढ़ गई है। विशेषकर रेनफेड एरिया में सिंचाई जल की असमान्य उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के कारण कृषि एक कठिन एवं अनिश्चिततापूर्ण तथा अलाभकारी कार्य हो गया है। इस योजना मे एक घटक रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट के लिए स्वीकृत किया गया है । इसमें समेकित कृषि प्रणाली के तहत् कृषि कार्य एवं उत्पाद का मूल्य संवर्द्वन के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाना है ।

3. केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश होगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल 250.00 लाख रूपये केन्द्रांश के रूप में Tentative allocation प्राप्त हुआ है जिसके आलोक में 40 प्रतिशत राज्यांश 166.666 के साथ कुल 416.666 लाख रूपये से योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। अब तक भारत सरकार से केन्द्रांश मद की राशि की विमुक्ति नहीं हुई है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति के पश्चात केन्द्रांश एवं अनुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत कर राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4. योजना का प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना एवं वर्गवार स्वीकृत राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदधिकारी की सूची अनुसूची–01 के रूप में संलग्न है। भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

5. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

6. रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उपयुक्त कृषि प्रणाली को समेकित रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। फसल उत्पादन के अतिरिक्त उद्यान तथा कृषि वानिकी आधारित कार्यक्रम अपनाये जायेंगे।

7. योजना का कार्यान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा । विभिन्न प्रकार के फसल प्रणाली के लिए न्यूनतम 100 हे० का कलस्टर चयन किया जाएगा।

8. उद्यान आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार रूपये का अनुदान देय होगा, कृषि वानिकी आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार एवं फसल आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति हेक्टयर की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभार्थी को अधिकतम दो हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जा सकेगा।

9. कुल उद्व्यय राशि का 50 प्रतिशत राशि लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए व्यय किया जाएगा, जिसमें से कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला होगी ।

10. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (रेनफड एरिया डेवलपमेन्ट) का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा संसूचित मार्गदर्शिका एवं इसमें समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

11. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी। राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों सहित प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की योजना में आवश्यक तकनिकी सहयोग एवं परामर्श के लिए स्टैंडिग कमिटी कृषि निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मिशन समिति (डी0एम0सी0) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा सहायक निदेशक उद्यान योजना कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

12. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

13. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्वि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

14. वित्तीय वर्ष 2017–18 की बजट शीर्ष, उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग सं०–01,उप शीर्ष 0207–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401001050207, विषय शीर्ष–0207.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	2038.95	207.50
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00,लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्रकोड 01–2401007890238, विषय शीर्ष–0238.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	393.05	40.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01,उपशीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड– 01–2401007960258, विषय शीर्ष–0258.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	24.57	2.50
कुल	**2456.57**	**250.00**

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक,माँग सं०–01, उप शीर्ष 0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401001050307, विषय शीर्ष–0307.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	1359.31	138.333
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401007890338, विषय शीर्ष–0338.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	262.03	26.666
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01,उपशीर्ष 0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड– 01–2401007960358, विषय शीर्ष–0358.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	16.37	1.667
कुल :–	**1637.71**	**166.666**
सकल योग:–	**4094.28**	**416.666**

15. वित्त विभाग की संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–44/2016 के पृ0 सं0– 29/टि. पर दिनांक 05.07.2017 को प्राप्त है।

16. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–44/2016 के पृ0सं0–30/टि0 पर दिनांक: 01.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2.8.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44/2016– 3098 /कृ0, पटना दिनांक– 3 – 8 – 2017

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44/2016– 3098 /कृ0, पटना दिनांक– 3 – 8 – 2017

प्रतिलिपि:– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\RAD Sanlekh 2017-18.doc

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44 / 2016– 3098 / कृ0, पटना दिनांक–3-8-2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44 / 2016– 3098 / कृ0, पटना दिनांक–3-8-2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव / कृषि निदेशक / निदेशक, पी0पी0एम0 / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया / बजट / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक / सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र / योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को (विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\RAD Sanlekh 2017-18.doc